

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हुए परिवारों का स्वघोषणा-पत्र-सह-व्यक्तिगत/पारिवारिक विवरणी :-

स्व घोषणा - पत्र
(सफेद राशन कार्ड हेतु)

मैं

पिता/पति

श्रेणी-सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आयु-.....

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।

2. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है एवं हमें अन्त्योदय (पीला कार्ड) अथवा पूर्वविक्रता प्राप्त गृहस्थ (गुलाबी कार्ड) का राशन कार्ड नहीं है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त सभी तथ्य तथा संलग्न परिवार की सूची मेरे ज्ञान पर आधारित है व सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य गलत/मिथ्या पाये जाते हैं तो इसके लिए कानूनी तौर पर मैं खुद जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। साथ ही मैं सरकार से अनुचित रूप से ली गई सहायता/अनुदान का बाजार मूल्य व इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये जुर्माने/ब्याज सहित राशि वापस लौटाने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

नाम :

नोट :- परिवार की व्यस्क महिला सदस्या, परिवार की मुखिया होंगी। परिवार में व्यस्क महिला न होने की स्थिति में पुरुष सदस्य, परिवार का मुखिया होगा।

(संलग्न - पार पृष्ठ पर पारिवारिक सूची)

परिवारिक विवरणी

डीलर का नाम -

पृष्ठ 2/2

पता	ग्राम/मोहल्ला
	वार्ड सं० (शहरी क्षेत्र के लिए) गावदान केन्द्र सं०
	पंचायत प्रखण्ड
	थाना - जिला

अनु० सं० -	खातेदार का नाम :
	(परिवार का मुखिया)
	बैंक का नाम :
	बैंक शाखा का नाम :
	बैंक खाता संख्या:
	आई.एफ.एस.सी.कोड:

क्र० सं०	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	महिला / पुरुष	मुखिया से रिश्ता	आधार संख्या										मोबाईल संख्या																													
						7																				8																			
1	2	3	4	5	6	7																				8																			
2						7																				8																			
3						7																				8																			
4						7																				8																			
5						7																				8																			
6						7																				8																			
7						7																				8																			
8						7																				8																			
9						7																				8																			
10						7																				8																			

नोट :- परिवार के सभी सदस्यों का आधार संख्या (आधार कार्ड का प्राप्ति) जयरा जयल कार्यालय से निर्दिष्ट आवसी प्रमाण-पत्र की आधारपति संलग्न करवा अनिवार्य है।

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम